

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 292]

नवा रायपुर, गुरुवार, दिनांक 4 जून 2026 — ज्येष्ठ 14, शक 1948

गृह विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 2 जून 2026

अधिसूचना

क्रमांक ESTB/5259/2025-O/O SECTION JAIL.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ लोक अभियोजन (राजपत्रित) भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 2008 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात :-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

अनुसूची—दो के सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के पद से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"....."	"....."	सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी	193	100%	—	—

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. चौहान, उप-सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 2 जून 2026

क्रमांक ESTB/5259/2025-O/O SECTION JAIL.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक ESTB/5259/2025-O/O SECTION JAIL दिनांक 02/06/2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. चौहान, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 2nd June 2026

NOTIFICATION

No. ESTB/5259/2025-O/O SECTION JAIL.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Public Prosecution (Gazetted) Services Recruitment and Promotion Rules, 2008 namely :-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,-

For the entries relating of the post Assistant District Public Prosecution Officer of Schedule-II, the following shall be substituted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"--"	--"	Assistant District Public Prosecution Officer	193	100%	-	-"

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R.P. CHOUHAN, Deputy Secretary.